

नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6A

प्रलिस के लयः

संवधान पीठ, भारत का मुख्य न्यायाधीश, नागरिकता अधिनियम, 1955, असम समझौता, नागरिकता

मेन्स के लयः

भारतीय नागरिकता की प्राप्ति और नरिधारण, नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन

[स्रोत: द हट्टि](#)

चरचा में क्यौं?

हाल ही में [भारत के मुख्य न्यायाधीश](#) के नेतृत्व में एक संवधान पीठ द्वारा [नागरिकता अधिनियम, 1955](#) की धारा 6A की संवधानिकता को चुनौती देने वाली वभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की गई।

- संवधान पीठ ने स्पष्ट किया है कि वह मात्र धारा 6A की वैधता की जाँच करेगी, न कि असम राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) की।

नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6A:

पृष्ठभूमि:

- वर्ष 1985 के असम समझौते के बाद नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 1985 के हसिसे के रूप में धारा 6A को अधिनियमित किया गया था।
 - असम समझौता केंद्र सरकार, असम राज्य सरकार और असम आंदोलन के नेताओं के बीच एक त्रपिक्षीय समझौता था, जिसका उद्देश्य बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों की घुसपैठ को रोकना करना था।
- वर्ष 1985 में हसत्ताक्षरति असम समझौते द्वारा वशिष रूप से असम के लयि वर्ष 1955 के नागरिकता अधिनियम में धारा 6A को शामिल किया गया था।
 - यह प्रावधान वर्ष 1971 के बांग्लादेश मुक्त युद्ध से पूरव बड़े पैमाने पर प्रवासन के मुद्दे का समाधान करता है। यह वशिष रूप से 25 मार्च, 1971 (बांग्लादेश का नरिमाण) के बाद असम में प्रवेश करने वाले बाहरी लोगों का पता लगाने तथा उनका नरिवासन अनवार्य करता है।
 - धारा 6A इस महत्त्वपूर्ण अवधि के दौरान असम के समक्ष वशिषि ऐतहासकि और जनसांख्यिकीय चुनौतियों को संबोधति करती है।

प्रावधान एवं नहितारथ:

- धारा 6A ने असम के लयि एक वशिष प्रावधान किया जिसके द्वारा 1 जनवरी, 1966 से पहले बांग्लादेश से आए भारतीय मूल के व्यक्तियों को उस तथिके अनुसार भारत का नागरिक माना जाता था।
- भारतीय मूल के व्यक्तियों को 1 जनवरी, 1966 और 25 मार्च, 1971 के मध्य असम आए थे और जनिके वदिशी होने का पता चला था, उन्हें अपना पंजीकरण कराना आवश्यक था तथा कुछ शर्तों के अधीन 10 साल के नवास के बाद उन्हें नागरिकता प्रदान की गई थी।
- 25 मार्च, 1971 के बाद असम में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों का पता लगाया जाना था और कानून के अनुसार उन्हें नरिवासति किया जाना था।

चुनौतियाँ:

संवधानिक वैधता:

अनुच्छेद 6:

- याचिकाकर्त्ताओं का तर्क है कि धारा 6A संवधान के अनुच्छेद 6 का उल्लंघन है।
- भारतीय संवधान का अनुच्छेद 6 वभिजन के दौरान पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता से संबंधति है।
- इस अनुच्छेद में कहा गया है कि जो कोई भी 19 जुलाई, 1949 से पहले भारत आया, वह स्वतः ही भारतीय नागरिक बन जाएगा यदि उसके माता-पति या दादा-दादी में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो।

- इससे प्रावधान की कानूनी और संवैधानिक वैधता के बारे में चर्चा उत्पन्न होती है।
- **अनुच्छेद 14:**
 - आलोचकों का तर्क है कि धारा 6A **संवैधानिक अनुच्छेद 14 का उल्लंघन** कर सकती है, जो **समता के अधिकार** की गारंटी देता है।
 - इस प्रावधान को भेदभावपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह वशिष्ट नागरिकता मानदंडों के चलते असम को अलग करता है।
 - यह प्रावधान केवल असम पर लागू है और यह चयनात्मक आवेदन प्रवासन के समान मुद्दों का सामना करने वाले अन्य राज्यों की तुलना में समान व्यवहार और नृषिपक्षता के बारे में चर्चा उत्पन्न करता है।
- **जनसांख्यिकीय प्रभाव:**
 - कुछ याचिकाकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर बांग्लादेश से असम में **अवैध प्रवासियों** की आमद बढ़ाने में योगदान देने के लिये धारा 6A के तहत नागरिकता देने की आलोचना की गई है।
 - चर्चा अवैध प्रवासन को प्रोत्साहित करने के अनपेक्षित परिणाम और राज्य की जनसांख्यिकीय संरचना पर इसके परिणामी प्रभाव पर केंद्रित है।
 - याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि धारा 6A के तहत असम में प्रवासी आबादी को नागरिकता प्रदान करना 'अवैधता को बढ़ावा देना' है।
 - उनका दावा है कि इन व्यक्तियों को नागरिक के रूप में मान्यता देने वाले इस प्रावधान का कई गुना प्रभाव देखा गया है, जिससे नरिंतर वृद्धि ही हुई है।
- **सांस्कृतिक प्रभाव:**
 - याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि वर्ष 1966 और वर्ष 1971 के बीच सीमा पार प्रवासियों को दिये गए लाभों से असम की सांस्कृतिक पहचान को प्रभावित करने वाले आमूल-चूल जनसांख्यिकीय परिवर्तन हुए।

नागरिकता क्या है?

- **परिचय:**
 - नागरिकता एक व्यक्ति और राज्य के बीच की कानूनी स्थिति एवं संबंध है जिसमें वशिष्ट अधिकार तथा कर्तव्य शामिल होते हैं।
- **संवैधानिक उपबंध:**
 - **भारतीय संवैधानिक भाग II में अनुच्छेद 5 से 11** तक नागरिकता के पहलुओं से संबंधित हैं, जैसे-जन्म, वंश, समीकरण, रजिस्ट्रिकरण और त्यजन व पर्यवसान द्वारा नागरिकता का अर्जन।
 - नागरिकता संवैधानिक के तहत **संघ सूची** में सूचीबद्ध है तथा इस प्रकार यह **संसद की अनन्य वशिष्ट अधिकारिता** के अंतर्गत है।
- **नागरिकता अधिनियम:**
 - भारत में नागरिकता के मामलों को वनियमित करने के लिये संसद ने नागरिकता अधिनियम, 1955 लागू किया है।
 - नागरिकता अधिनियम, 1955 को इसके अधिनियमित होने के बाद से **छह बार संशोधित** किया गया है। ये संशोधन वर्ष **1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019** में किये गए थे।
 - **नवीनतम संशोधन वर्ष 2019 में किया गया** था, जिसके तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी व ईसाई समुदायों के कुछ अवैध प्रवासियों को नागरिकता प्रदान की गई, जिन्होंने 31 दिसंबर, 2014 को अथवा उससे पूर्व भारत में प्रवेश किया था।

वधिक दृष्टिकोण

नागरिकता के बारे में वसितार से पढ़ें

<https://www.drishtijudiciary.com/>

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

[?/?/?/?/?/?/?/?/?/?]:

प्रश्न. भारत के संदर्भ में नमिनलखित कथनों पर वचार कीजिये: (2021)

1. भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधवास है।

2. जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो, केवल वही राष्ट्रध्वज बन सकता है।
3. जिस वदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है, किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) केवल 2 और 3

उत्तर: (a)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/section-6a-of-the-citizenship-act-1955>

